



JALAUN POLICE

"Operation Conviction"

दिनांक 20.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कोंच पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 02 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष का कारावास एवं 7,000-7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1- मनोज पुत्र वलराम कुशवाहा 2- सुनील पुत्र दीनदयाल निवासीगण मो० तिलक नगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली कोंच पर मु०अ०सं० 90/2007 धारा 387/452/323/506/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० डकैती कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण मनोज, सुनील उपरोक्त को दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष का कारावास एवं 7,000-7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



महेन्द्र विक्रम सिंह
ADGC



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० प्रेम किशोर
कोर्ट मुहरिर



का० हदेश कुमार
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

